लोक अदालत

18/08/16, पत्रावली लोक अदालत केन्द्र बौसाखेड़ा में रखी गई, पक्षकार अपील वादी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वाद में अंकित आवेदन ग्राम बौसाखेड़ा तह. मनोहरथाना के नाम की खसरा नं. 28 की रकबा 12 बीघा 4.05 बीघा जमीन प्रतिवादीगण के खातेदारी की चल रही जमीन उनके पिता बाप खीड़ की थी लेकिन खीड़ के सम्बन्ध में उनका कोई दखलकार नहीं है। मात्र मौखिक मालिक खीड़ की थी इसलिए यह जमीन मेरे खाते दर्ज की जाये।

चूंकि वादी अपने पिता बाप मौखिक मालिक के जमीन का कब्जा था मौखिक मालिक कब कारण से जमीन पर आधिपत्य प्राप्त नहीं होने से इसलिए वादी को खेती अनुतोष नहीं दिया जा सकता अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील रकमीक लोक अदालत नहीं करने के कारण

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना